

यह निरीक्षण प्रतिवेदन वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून के माह 08/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना लेखापरीक्षक तथा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.10.2017 से 17.10.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र पर्यवेक्षक एवं श्री रामवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2013 से 02.09.2013 तक श्री आई.के.जुयाल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से माह 07/2013 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 07/2013 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 08/2013 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2013 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई है

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: शवा लक वृत्त, देहरादून

- (i) (ii)(अ) **राजस्व विवरण:**

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	शून्य
2016-17	शून्य

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		गैर स्थापना		स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	2225000	2086660	9973000	9753906	0	357434
2014-15	0	100000	1472000	1392721	9303000	9017954	0	364325
2015-16	0	28950	1615000	1512837	10284000	9709865	0	676298
2016-17	0	0	2065000	1963303	10951000	10122717	0	929980
योग-	0	128950	7377000	6955521	40511000	38604442	0	2328037

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

( रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख वन संरक्षक
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक
3. मुख्य वन संरक्षक
4. वन संरक्षक
5. प्रभागीय वनाधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 05/2016 आय एवं व्यय के वस्तृत चयन व्यय की वस्तरत जांच के लए कया गया

माह -- का चयन प्राप्तियों की वस्तरत जांच एवं माह 07/2016 का चयन अंकगणतीय शुद्धता के लए कया गया

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-85/2017-18

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-01 कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ₹0.15 लाख की प्रतिभूति राश का जमा न कया जाना।

कार्यालय वन संरक्षक, शवालक व्रत, देहरादून द्वारा जमानत जमा से संबन्धित दी गयी सूचना के आधार पर निम्न लखत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत धनराश जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निधोरित धनराश	जमा धनराश	अवशेष राश
1	श्रीमती रुकमणी चिल्डियाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1000	-	1000
2	श्रीमती शगुन रोहिला	प्रधान सहायक	1000	-	1000
3	श्री प्रमोद कुमार आर्य	कनिष्ठ सहायक	1000	-	1000
4	श्रीमती संगीता चावला	प्रधान सहायक	1000	-	1000
5	श्रीमती मंजू खनसाली	प्रधान सहायक	1000	-	1000
6	श्रीमती सुषमा भण्डारी	वरिष्ठ सहायक	1000	-	1000
7	श्री दीप प्रकाश पाण्डेय	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1000	-	1000
8	श्रीमती संतोष कुमारी	प्रधान सहायक	1000	-	1000
9	श्रीमती उषा प लयाल	प्रधान सहायक	1000	-	1000
10	श्रीमती प्रयंका रावत	अपर सांख्यिकी अधिकारी	1000	-	1000
11	श्री संजय उपाध्याय	वरिष्ठ सहायक	1000	-	1000
12	श्री दीपक काला	कनिष्ठ सहायक	1000	-	1000

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-85/2017-18

13	श्री सुभाष	वैयक्तिक सहायक	1000	-	1000
14	श्री गुंजन सुयाल	कनिष्ठ सहायक	1000	-	1000
15	श्री देवेश कुमार	स्वच्छकार	500	-	500
16	श्री उमा शंकर	चौकीदार	500	-	500
योग					<b>15000</b>

उक्त के संबंध में इंगत कया जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जमानत जमा की धनराश मनिस्ट्रियल कर्मचारियों से जमा कराने का प्रावधान है फील्ड कर्मचारियों से नहीं है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क जमानत जमा राजस्व से संबंधत कार्य करने वाले कर्मचारियों से राजस्व सुरक्षा हेतु करवायी जाती है तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण फील्ड में भी होता रहता है अतः कर्मचारियों से राजस्व जमा कराया जाना अपेक्षत है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 02 :- अतिक्रम वन भूमि से संबन्धित शिकायत पत्रों पर कार्यवाही न कया जाना।

वृत्त के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त को प्रभाग की वन भूमि पर अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण की निम्न लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिनके संबंध में वभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पत्रावली में परिलक्षित नहीं थी।

1. धूमनगर, छरवा एवं सोरना तथा बिटोली वन ब्लॉक (कालसी वन प्रभाग) के अंतर्गत अवैध कब्जे के बारे में शिकायत दिनांक 22.04.2013 को प्राप्त हुई थी। देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत बसंत वहार के मकान संख्या 288 एवं 289 के स्वामियों द्वारा वन भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी शिकायत दिनांक 08.04.2016 को आपके कार्यालय में प्राप्त हुई थी।
2. देहरादून वन प्रभाग के अधीन झांझरा रेंज के ग्राम सभा गुजराना करनपुर के गाँव आकूवाला में श्री हरी सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह द्वारा आरक्षित भूमि 0.2510 हेक्टेयर पर अवैध निर्माण कए जाने संबंधी शिकायत 09.07.2015 आपके कार्यालय में प्राप्त हुई थी।
3. हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत श्यामपुर रेंज में आरक्षित वन भूमि पर आश्रमों द्वारा अतिक्रमण कए जाने संबंधी शिकायत दिनांक 14.12.2016 को आपके कार्यालय को प्राप्त हुई थी।

उक्त के संबंध में की गयी कार्यवाही के संबंध में इंगत कए जाने पर प्रभाग द्वारा प्रभागों से की गयी कार्यवाही की जांच आख्या प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया है।

अतः वभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित कए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

**भाग-III**

**राजस्व से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
Air No 59/2013-14	-	01,02	

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	श्री संतोष शर्मा	वन संरक्षक
2	श्री भुवन चन्द्र	वन संरक्षक
3	श्री मीनाक्षी जोशी	वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति वन संरक्षक शवा लक वृत्त देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

**लेखापरीक्षा अधिकारी**